SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 THE CRIMINAL PROCEDUR CODE, 1898 In the court of . चंकारन हार्मी जे.एम.एफ.सी गोहद भिण्ड न्यायिक मजिल्ट्रट प्रथम श्रेणी प्रकरण कमांक /2017 गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.) Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना प्रशासन भिण्ड म०प्र० name, parentage, caste and address of accused 1 9 2 210 CLEY 41 500 Dartie Sta significant कि उद्या है। के कार हर कि Q de sessenge 8/2 all solls (3) दीमामार्वाका ठीए मार्टका O THE BY CO STORE OF COSTS (S) विमें म्हाकाराद्र केर क्षित्र The offence complained of, and date of its alleged commission आपने दिनांक 2222 को 17.10 बजे से 17.10 बजे के मध्य स्थान श्रामर्थिश केरिकामें ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दाव लगाकर जुआ खेला। तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों। गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.) The plea of the accused and bis examination [if any]--आरोपी का अभिवाक- उपात्रक रेके किया न्यायिक मजिस्टे

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of whitch the offence has been committed

//निर्णय//

(आज दिनांक 12.1.18 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजनिक धूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक धूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये ७० ७० रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
- 3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 🔨 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4. प्रकरण में जप्तशुदा <u>१२५</u> रूपये राजसात किये ज है अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो। ११३५ की अइडी उपर स्थान-भिण्ड

दिनांक- 12-118

निर्णय आज दिनांकित एवं ... हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

9/12/01/18

न्यायिक मणिए हे प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.) 912/01/18

न्याधिक भागा है । गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)